सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 30.09.2023

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम मिश्रनपुरवा मौजा पूरेवादल के पास से अभियुक्त गुड्डू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 87 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. गुड्डू पुत्र सिराज निवासी पठान टोला कटराबाजार थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-326/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 किलो 87 ग्राम अवैध गाँजा बरामद।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

सोशल मीडिया सेल, गोण्डा

दिनांक 30.09.2023

प्रकाश में आये षड़यन्त्र कर हत्या करने के आरोपी अभियुक्त/अभियुक्ता (बुआ व फूफा) को पुलिस ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शिवराज के पर्वेक्षण में थाना को0नगर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनाकं 19.06.2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत जहर देकर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना को0नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-794/2022 धारा 328, 302, 506, 34, 120 बी भा0द0वि0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 वाछिंत अभियुक्त 01. अजय कुमार कन्नौजिया व अभियुक्ता 02. राजकुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त/अभियुक्ता ने शहर स्थित राधाकुण्ड के पास वादिनी (विधवा महिला) की पैतृक (बेश कीमती) घर व जमीन को हड़पने की नियत से षड़यन्त्र रचकर वादिनी के एकलौते पुत्र को उसके दोस्तो के साथ मिलकर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की गयी थी। उक्त घटना में संलिप्त अन्य 02 आरोपी अभियुक्तों को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त अजय कुमार कन्नौजिया दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में सजायाफ्ता अपराधी है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

01. अजय कुमार कन्नौजिया पुत्र लक्ष्मीनरायन निवासी मो0 राधा कुण्ड चौकी क्षेत्र पाण्डेय बाजार थाना को0नगर गोण्डा।
02. श्रीमती राजकुमारी पत्नी अजय कुमार कन्नौजिया निवासी मो0 राधा कुण्ड चौकी क्षेत्र पाण्डेयबाजार थाना को0नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-794/22, धारा 328, 302, 506, 34, 120बी भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शरद अवस्थी मय टीम थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 30.09.2023

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्तगण 01. गार्ड बाबू उर्फ मंगल प्रसाद व 02. लाल बाबू उर्फ भवानी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण ने वादी नन्द कुमार मिश्रा के पुत्र को प्रताडित कर आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी का पुत्र ने प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर लिया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. गार्ड बाबू उर्फ मंगल प्रसाद पुत्र आत्माराम तिवारी निवासी ग्राम पासीपुरवा मौजा कश्मीरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. लाल बाबू उर्फ भवानी प्रसाद पुत्र आत्माराम तिवारी निवासी ग्राम पासीपुरवा मौजा कश्मीरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 292/2023 धारा 306 भादवि थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम थाना कौडिया गोण्डा।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 30.09.2023

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त- कृष्णा कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कोतवाली मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में पीडिता की माँ द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कृष्णा कश्यप पुत्र राकेश कुमार कश्यप निवासी हरसिंहवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-526/23 धारा 363 भादवि थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 शशांक मौर्या मय टीम थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 30.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 03, थाना धानेपुर पुलिस ने 01, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती बड़का पत्नी हीरालाल 02. श्रीमती छमछम पत्नी सीताराम निवासी ग्राम तकिया मौजा बेलवा बहुता थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-494/23, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 30.09.2023

जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षो को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त अयोध्या प्रसाद कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्त ने वादिनी के पति जो निमन्त्रण से वापस घर आ रहे थे को अभियुक्त ने अपने सहयोगियों के साथ जान मारने की नियत हाकी, लाठी से मार-पीटकर हाथ पैर तोड़ दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अयोध्या प्रसाद कोरी पुत्र देवीदीन कोरी निवासी ग्राम तरगाँव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-223/23, धारा 307, 323, 325, 504,506 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 रमेश कुमार मय टीम थाना मोतीगंज गोण्डा।